सत्यमेव जयते

भारत सरकार

आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ)

2026-27

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
मांग संख्या 10

वाणिज्य विभाग

1. ड्यूटी ड्रॉ बैक योजना (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
200[1]	1. निर्दिष्ट श्रेणियों के तहत आयात की तुलना में घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना	1.1 मामलों की संख्या जहां टीईडी/डीबीके की मंजूरी दी गई	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[2]	1. निर्दिष्ट श्रेणियों के तहत आयात की तुलना में घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना	लागू नहीं है	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[3]
		1.2 उन पक्षों की संख्या जिनके दावों को मंजूरी दी गई	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते			
		1.3 कुल संवितरित राशि (करोड़ रुपये में)	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते			

[1] डीजीएफटी के लिए डीबीके
[2] इस योजना की एक खामी यह है कि इसमें डीम्ड निर्यात पर सीमा-शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जहाँ भी लागू हो) की प्रतिपूर्ति की जाती है इसलिए कोई पूर्व निर्धारित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
[3] इस योजना की एक खामी यह है कि इसमें डीम्ड निर्यात पर सीमा-शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जहाँ भी लागू हो) की प्रतिपूर्ति की जाती है इसलिए कोई पूर्व निर्धारित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

2. चाय बोर्ड (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
396.83[4]	1. उत्पादन और उत्पादकता	1.1 चाय उत्पादन की मात्रा (एम. किलोग्राम)	1415	1. उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि	1.1 आधार वर्ष 2025-26 की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि (% मे)	1.80
		1.2 ऑर्थोडॉक्स/ग्रीन टी उत्पादन की मात्रा (एम. किलोग्राम)	142		1.2 आधार वर्ष 2025-26 की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि (% मे)	1.80
		1.3 उत्पादकता किलोग्राम/हेक्टेयर	2087		1.3 आधार वर्ष 2025-26 की तुलना में उत्पादकता में प्रतिशत वृद्धि (% मे)	1.80
	2. चाय निर्यात	2.1 निर्यात की गई चाय की मात्रा (एम. किलोग्राम)	275	2. चाय निर्यात में वृद्धि	2.1 आधार वर्ष 2025-26 की तुलना में निर्यात में प्रतिशत वृद्धि (% मे)	2.00

4 ईएफसी तैयार हो रहा है।

3. कॉफी बोर्ड (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
350.00[5]	1. कॉफी उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि	1.1 कॉफी उत्पादन की मात्रा (मीट्रिक टन में)	3,80,000	1. उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि	1.1 आधार वर्ष 2025-26 की तुलना में कॉफी उत्पादन में % परिवर्तन	2.7
		1.2 कॉफी उत्पादकता (किलोग्राम में)	839		1.2 आधार वर्ष 2025-26 की तुलना में उत्पादकता में % परिवर्तन	3
		1.3 बीज उत्पादन की मात्रा (मैट्रिक टन में)	12.00		1.3 पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 (4.91 लाख हेक्टेयर) की तुलना में कॉफी रोपण क्षेत्र में % की वृद्धि हुई है।	1.6
		1.4 भारत में कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में विकसित क्षेत्र (पुन:रोपण / विस्तारित / समेकन) (हेक्टेयर में)	8,000			
	2. भारत से कॉफी का निर्यात बढ़ाना	2.1 निर्यात की गई कॉफ़ी की मात्रा (मैट्रिक टन में)	4,30,000	2. भारतीय कॉफी के लिए उच्च मूल्य प्रतिफल प्राप्त करना और कॉफी के निर्यात में वृद्धि करना	2.1 2025-26 के लक्ष्य की तुलना वर्ष 2026-27 में कॉफी के निर्यात में % वृद्धि	1.2
	3. मजदूरों के बच्चों को कल्याणकारी सहायता	3.1 कल्याणकारी सहायता के लाभार्थियों की संख्या	6,000			

[5] ईएफसी तैयार किया जा रहा है

4. रबड़ बोर्ड (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	2026-27
360.31	1. रबड़ उत्पादन में परिवर्तन, उत्पादकता वृद्धि, विस्तार गतिविधियों को प्रोत्साहन आदि।	1.1 रबड़ उत्पादन की मात्रा (टन में)	9,23,000	1. रबड़ के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि	1.1 पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में रबड़ के उत्पादन में % परिवर्तन[6]	2.6
		1.2 प्राकृतिक रबड़ की उत्पादकता (किग्रा/हे.)	1520		1.2 पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में रबड़ की उत्पादकता में % परिवर्तन[7]	0.7
		1.3 किसान शिक्षा कार्यक्रम (कार्यक्रमों की संख्या)	1680		1.3 वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में रोपित क्षेत्र में % परिवर्तन[8]	2.3
	2.	2.1 मूल्यांकन के अंतर्गत लाए गए हाईब्रिड (संख्या)	6250			
		2.2 नए क्लोनों के केंद्रक रोपण सामग्री की कलियों की आपूर्ति (संख्या)।	12500			

[6] % परिवर्तन वर्ष दर वर्ष
[7] % परिवर्तन वर्ष दर वर्ष
[8] % परिवर्तन वर्ष दर वर्ष

5. मसाला बोर्ड (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
153.81	1. मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन, प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण और सहायता प्रदान करना।	1.1 बाजार विस्तार, व्यापार संवर्धन, प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप आदि के लिए क्षमता संवर्धन हेतु सहायता प्राप्त लाभार्थियों	90	1. मसालों के निर्यात मूल्य में परिवर्तन।	1.1 वित्त वर्ष 2025-26 की तुलना में मसालों के निर्यात मूल्य में % वृद्धि	3
		1.2 क्रेता विक्रेता की संख्या	10			
		1.3 विश्लेषण किए गए निर्यात शिपमेंट नमूनों की संख्या (2025-26 की तुलना में % वृद्धि)	5		1.2 मसालों के निर्यात बास्केट* में मूल्यवर्धित उत्पादों का % हिस्सा	53
		1.4 किसानों/किसान समूहों के यहाँ स्थापित फसल कटाई के बाद के उपकरणों की संख्या (संख्या)	1000		1.3 वर्ष 2025-26 की तुलना में मसाला खेप के निर्यात के लिए जारी किए गए स्वीकृत विश्लेषणात्मक रिपोर्टों और स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों में % वृद्धि	5
	2. छोटी और बड़ी इलायची की उत्पादकता और उत्पादन में सुधार करना और कटाई के बाद अन्य	2.1 पुनः रोपित किया जाने वाला इलायची क्षेत्र (छोटी और बड़ी), (हेक्टेयर)	1200	2. छोटी और बड़ी इलायची के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि।	2.1 वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में छोटी इलायची के उत्पादन में % परिवर्तन	3
		2.2 इलायची के रोपण सामग्री उत्पादन की संख्या (छोटे और बड़ी) (लाख में)	33		2.2 वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में बड़ी इलायची के उत्पादन में % परिवर्तन।	

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	मसालों में सुधार ।	2.3 मौसम आधारित बीमा प्रदान किया गया छोटी इलायची का क्षेत्र (हेक्टेयर)	450			
	3. छोटी और बड़ी इलायची पर शोध।	3.1 संचालित ऑन-फील्ड मसाला क्लीनिकों की संख्या (संख्या)	45			
		3.2 जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी/उच्च उपज देने वाली इलायची की रोपण सामग्री (नए क्लोन) का वितरण (संख्या)	35,000			

6. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
135.66[9]	1. मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सुधार	1.1. मूल्य श्रृंखला में हितधारकों की क्षमता निर्माण। (प्रशिक्षु संख्या)	51,273	1. निर्यात बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल की आपूर्ति और मूल्य श्रृंखला में पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करना।	1.1 निर्यात उन्मुख उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि	10
		1.2. मत्स्यपालन संस्थाओं का प्रमाणीकरण (फार्मों हेक्टेर मे)	500			
		1.3. मत्स्यपालन संस्थाओं का प्रमाणीकरण (हैचरी की संख्या)	30			
		1.4. समूहों का निर्माण (संख्या)	89			
		1.5. निर्यात उत्पादों का पता लगाने की क्षमता का प्रमाणन (प्रमाणपत्रों की संख्या)	35,700			
	2. निर्यात के लिए मूल्यवर्धन	2.1 मूल्यवर्धन के लिए अवसंरचना को उन्नत करने में सहायता	20	2. मूल्यवर्धित समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धि	2.1 भारत के समग्र समुद्री खाद्य निर्यात बास्केट में मूल्यवर्धित	12.50

[9] संभावित बी.ई 2026-27

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		2.2 समुद्री खाद्य पदार्थों के मूल्यवर्धन पर प्रसंस्करण श्रमिकों को प्रशिक्षण देना	200		उत्पादों का प्रतिशत हिस्सा	
	3. गुणवत्ता आश्वासन	3.1 मत्स्यपालन मूल्य श्रृंखला की ईकाईयों के लिए राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण कार्यक्रम संचालित करना (नमूनों की संख्या)	3,780	3. उत्पादन और निर्यात मूल्य श्रृंखला में गुणवत्ता की निगरानी करना	3.1 निर्यात खेपों की अस्वीकृति में प्रतिशत कमी	5
		3.2 मतस्य पालन और प्रसंस्करण इकाइयों से निर्यात के लिए तैयार उत्पादों का परीक्षण (नमूनों की संख्या)	14500			
	4. बाज़ार संवर्धन	4.1 व्यापार मेले, प्रतिनिधिमंडल और क्रेता-विक्रेता बैठकें	21	4. समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात में वृद्धि	4.1 समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात में प्रतिशत वृद्धि	5

7. निर्यात व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस) (सीएस)[10]

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
51.68	1. नए व्यापारिक अवसंरचना की स्थापना और व्यापारिक अवसंरचना के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता - निर्यात से जुड़े मजबूत निर्यात उन्मुख परियोजनाएं	1.1 वित्तीय वर्ष 2026-27 में नए व्यापारिक अवसंरचना की स्थापना और/या मौजूदा व्यापारिक अवसंरचना के उन्नयन के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[11]	1. निर्यात व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना का निर्माण	1.1 पूर्ण की गई परियोजनाओं की कुल संख्या।	8[12]
		1.2 वित्तीय वर्ष 2026-27 में संवितरित निधियों की राशि	51.68		1.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित पूर्ण परियोजनाओं की संख्या	1

[10] पिछले वित्तीय वर्ष के ओओएमएफ दस्तावेज़ में अन्य बातों के साथ यह उल्लेख किया गया था कि 'अधिकृत वित्त समिति ने 22.08.2022 को आयोजित अपनी बैठक में "जिला निर्यात केंद्र (डीईएच) योजना" के प्रस्ताव पर विचार करते हुए यह अनुशंसा की थी कि टीआईईएस योजना को डीईएच में विलय कर दिया जाए'। हालांकि, बाद में कैबिनेट नोट में प्रस्तावित डीईएच योजना को स्वीकार नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, इस विभाग ने दिनांक 23.05.2023 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से व्यय विभाग से टीआईईएस के अंतर्गत नए प्रस्तावों पर विचार करने के लिए उपरोक्त ईएफसी निर्णय से छूट के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। इसके जवाब में, व्यय विभाग ने दिनांक 12.06.2023 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की, जिसमें अन्य बातों के साथ यह भी कहा गया कि टीआईईएस का संचालन जारी रखा जा सकता है। टीआईईएस के अंतर्गत सभी प्रस्ताव 360 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय के भीतर ही पूरे किए जाएंगे। अतः, टीआईईएस का संचालन जारी रखा गया है और ईसी द्वारा नए परियोजना प्रस्तावों पर भी (स्वीकृत परिव्यय के भीतर) विचार किया गया है।

[11] टीआईईएस योजना को वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए 360 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ विस्तारित किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के बाद टीआईईएस के आगे विस्तार के संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आवंटित निधि का उपयोग योजना की मौजूदा स्वीकृत अवधि और परिव्यय के भीतर स्वीकृत परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध देयता के लिए किया जाएगा।

[12] टीआईएस के तहत कुल 69 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 38 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 13 परियोजनाएं रद्द/स्थगित कर दी गई हैं और शेष परियोजनाएं जारी हैं। जारी परियोजनाओं में से 8 परियोजनाएं वित्त वर्ष 2026-27 में पूरी होने का प्रस्ताव है।

8. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केंद्र (सीआरआईटी) (सीएस)[13]

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
60.09	I. डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र (सीडब्ल्यूएस)					
	1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुद्दों पर चर्चा और वार्ता में भागीदारी के लिए देश और अंतर्राष्ट्रीय तैयारियों को बढ़ाना।	1.1 हितधारकों के साथ परामर्श/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों देश की संख्या।	40	1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चर्चाओं और वार्ताओं में भागीदारी की क्षमता में वृद्धि।	1.1 विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में प्रस्तुतीकरण/ हस्तक्षेप के लिए सीडब्ल्यूएस द्वारा प्रदान किए गए इनपुट की संख्या।	34
		1.2 अंतर्राष्ट्रीय बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या।	12		1.2 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ (घरेलू) से संबंधित मुद्दों पर प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या।	200
		1.3 डीओसी के नोट्स और सलाहकारी राय की संख्या।	100		1.3 अंतर्राष्ट्रीय बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सुविधा प्रदान किए गए	250
		1.4 डीओसी के नोट्स और सलाहकारी राय की संख्या।	28			

[13] सीआरआईटी योजनाओं के पुनर्गठन के अंतर्गत, क्षेत्रीय व्यापार केंद्र (सीआरटी) को सीडब्ल्यूएस में समाहित कर दिया गया है। अब केवल दो केंद्र ही अस्तित्व में हैं, अर्थात् सीडब्ल्यूएस और सीटीआईएल। सीआरआईटी उपनियम, जिसे "अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केंद्र (सीआरआईटी) के उपनियम, 2023" कहा जाता है, अधिसूचित कर दिया गया है और यह दोनों सीआरआईटी केंद्रों - सीडब्ल्यूएस और सीटीआईएल पर लागू होता है।

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
					व्यक्तियों की संख्या।	
	2. द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते/सीईपीए/सीईसीए या इसी तरह के ढांचे जिनमें उनकी समीक्षाएं भी शामिल हैं पर चर्चा और वार्ता में भाग लेने के लिए देश में तैयारियों को बढ़ाना।	2.1 हितधारक परामर्शों/राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार/मुक्त व्यापार समझौते के लिए भारत सरकार के अधिकारियों की क्षमता निर्माण की संख्या।	12	2. मुक्त व्यापार समझौते वार्ता में भाग लेने की बढ़ी हुई क्षमता।	2.1 कार्य विभाग, संबंधित मंत्रालयों और अन्य सरकारी एजेंसियों सहित भारत सरकार के कई अधिकारियों ने क्षमता निर्माण सत्रों में भाग लिया।	100
		2.2 थिंकन्टैंक/ विशेषज्ञों (देश और विदेश) के साथ कार्याशालएं/ प्रस्तुतियां/ सहयोग की संख्या।	12		2.2 मौजूदा एफटीए/ सीईपीए/ सीईसीए के प्रभाव आकलन अध्ययनों की संख्या, जिनमें सीखे गए सबक भी शामिल हैं।	10
		2.3 मौजूदा/चल रहे एफटीए/सीईपीए/सीईसीए वार्ताओं/उनकी समीक्षाओ के विभिन्न चरणों के लिए विश्लेषणात्मक टिप्पणियों और सलाहकारी राय की संख्या।	100		2.3 हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौतों (या इसी तरह के अन्य समझौतों) से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषयों पर प्रकाशन/पत्र/संक्षिप्त लेख।	10
		2.4 मौजूदा/चल रहे/संभावित एफटीए/ सीईपीए/ सीईसीए वार्ताओं/उनकी समीक्षाओं के संयुक्त व्यवहार्यता	4			

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		अध्ययन/संयुक्त अध्ययन/ अन्वेषणात्मक अध्ययनों की संख्या।				
		2.5 हाल ही में हस्ताक्षरित एफटीए/सीईपीए/सीईसीए पर सीडब्ल्यूएस द्वारा आयोजित एफटीए आउटरीच कार्यक्रमों की संख्या।	10			
	II. व्यापार और निवेश विधि केंद्र सीटीआईएल					
	1. वाणिज्य विभाग और अन्य संबंधित मंत्रालयों से विभिन्न अंतरराष्ट्रीय आर्थिक कानून मामलों पर प्राप्त विशिष्ट अनुरोधों का जवाब देना, जिनमें वस्तुओं का व्यापार, व्यापार सेवाओं में विवादों का समाधान आदि शामिल हैं।	1.1 कानूनी राय/ सलाहकार राय/दस्तावेजों का पुनरीक्षण/ टिप्पणियां/ नोट्स/चर्चा पत्र/कानूनी जांच की संख्या	400	1. अन्य देशों में डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान और व्यापार संबंधी विशिष्ट जांचों में भारत की बेहतर भागीदारी और समय पर एवं सक्रिय प्रतिक्रिया।	1.1 विवादों/विदेशी जांचों की संख्या (बचाव किए गए/दायर किए गए/टाले गए	02
		1.2 विधानों/नियमों/विनियमों का मसौदा तैयार करना	04		1.2 एकतरफा उपायों की निगरानी और मूल्यांकन करना तथा संभावित कार्य रणनीतियों पर त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार करना।	05
		1.3 मसौदा पाठ/कानून पर हितधारकों/अंतर-मंत्रालयी परामर्श	06			

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	2. अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक कानून के वर्तमान और उभरते मुद्दों से संबंधित जागरूकता पैदा करना और ज्ञान का प्रसार करना।	2.1 शोध पत्रों/प्रकाशनों /लेखों की संख्या	26	2. महत्वपूर्ण और संवेदनशील व्यापारिक मुद्दों पर भारत का स्पष्ट रुख, जिसमें उनके कानूनी निहितार्थों की जानकारी भी शामिल है। तदनुसार, भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए चल रही व्यापारिक वार्ताओं के वार्ता दस्तावेजों में सटीक भाषा का समावेश।	2.1 विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में भागीदारी/व्यापार (जिसमें भारत-अमेरिका, भारत-ब्रिटेन, भारत-कनाडा आदि जैसे एफटीए शामिल हैं) से संबंधित डब्ल्यूटीओ प्रस्तुतियाँ/एफटीए वार्ता दस्तावेज़/मसौदा पत्र/स्थिति पत्र/गैर-पत्र आदि के लिए कानूनी विश्लेषण यह सूची केवल उदाहरण के तौर पर दी गई है।	120
		2.2 अध्ययनों/ रिपोर्टों/ परियोजनाओं की संख्या	6		2.2 विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) विवादों में तीसरे पक्ष की प्रस्तुति	04
		2.3 आयोजनों की मेजबानी/सह-मेजबानी	16			
	3. भारत के प्रमुख विधि विद्यालयों के विभिन्न विधि छात्रों के बीच	3.1 इंटर्नशिप कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले इंटर्न/छात्रों की संख्या	150	3. पुस्तकों और शोध लेखों के लेखन के माध्यम	3.1 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के महत्वपूर्ण मुद्दों को कवर करने	01

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	वर्तमान और उभरते हुए व्यापार कानून के विभिन्न मुद्दों में गहरी रुचि और उन्नत समझ का प्रदर्शन।	3.2 ट्रेड लैब क्लीनिक में प्रशिक्षित विधार्थियों की संख्या	24	से व्यापार और निवेश कानून के वर्तमान और उभरते मुद्दों पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चर्चा को प्रभावित करना।	वाली और भारतीय परिप्रेक्ष्य पर विशेष ध्यान केंद्रित करने वाली पुस्तकों की संख्या।	
	4. मुक्त व्यापार समझौतों और उनकी समीक्षा सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश कानून से संबंधित मुद्दों पर चर्चा और वार्ता में भागीदारी के लिए देश में तैयारियों को बढ़ाना।	4.1 सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	08	4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश कानून से संबंधित चर्चाओं और वार्ताओं में भाग लेने की क्षमता में वृद्धि, जिसमें मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) वार्ताएं भी शामिल हैं।	4.1 भारत सरकार की भागीदारी, जिसमें निदेशक मंडल, संबंधित मंत्रालय और अन्य सरकारी एजेंसियां शामिल हैं।	260
		4.2 कार्यशालाओं/ प्रस्तुतियों/थिंक टैंकों/विशेषज्ञों के साथ सहयोग (देश और विदेश में) की संख्या	06			

9. एपीडा की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन योजना (सीएस)[14]

<table>
<tr><th>वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)</th><th colspan="3">निर्गम 2026-27</th><th colspan="3">परिणाम 2026-27</th></tr>
<tr><td>2026-27</td><td>निर्गम</td><td>संकेतक</td><td>लक्ष्य 2026-27</td><td>परिणाम</td><td>संकेतक</td><td>लक्ष्य 2026-27</td></tr>
<tr><td rowspan="3">0.00</td><td colspan="6">I. निर्यात अवसंरचना का विकास (इस घटक के तहत, निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान की जाती है)।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1. कमियों को दूर करने हेतु एकीकृत पैक हाउस एवं प्रसंस्करण सुविधाएँ।.[15]</td><td>1.1 स्थापित एकीकृत पैकिंग हाउस और प्रसंस्करण सुविधाओं की संख्या।</td><td>10[16]</td><td rowspan="2">1. उच्च मूल्य प्राप्ति हेतु निर्यात संवर्धन।</td><td>1.1 एपीडा के अनुसूचित उत्पादों के निर्यात के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि।</td><td>9</td></tr>
<tr><td>1.2 केवल (1.1) में उल्लिखित सुविधाओं का उन्नयन या विस्तार।.[17]</td><td>10[18]</td><td>1.2 कुल कृषि निर्यात में अनुसूचित उत्पादो का प्रतिशत हिस्सा।</td><td>55</td></tr>
</table>

[14] ओओएमएफ को वर्ष **2026-27** से वर्ष **2030-31** के लिए अनुमोदित ईएफसी दस्तावेज़ के आधार पर तैयार किया गया है।

[15] सुविधाओं में संग्रह, सफाई, धुलाई, छँटाई/वर्गीकरण, पूर्व-शीतलन, पैकिंग, कोल्ड स्टोरेज के उपकरण, हाथ से पकड़े जाने वाले नियर-इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी (एनआईआर) उपकरण (आम के फलों की कटाई से पहले गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए), गर्म पानी में डुबोकर उपचार आदि और प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं ताकि कमियों को दूर किया जा सके। उत्तर-पूर्वी राज्यों, लद्दाख, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर के निर्यातकों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पीएसी), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिला लाभार्थियों और स्टार्टअप्स को **250** लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन **75%** तक की सहायता प्रदान की जाती है। अन्य राज्यों में स्थित परियोजनाओं या लाभार्थियों के अन्य वर्गों के लिए, जिनका ऊपर विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, **250** लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन **40%** तक की सहायता प्रदान की जाती है।

[16] **250** लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन **40%** तक की सहायता प्रदान की जाती है।

[17] पूर्वोत्तर राज्यों, लद्दाख, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर के निर्यातकों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पीएसीएस), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिला लाभार्थियों और स्टार्टअप्स को **200** लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन **75%** तक की सहायता प्रदान की जाएगी। अन्य राज्यों में स्थित परियोजनाओं या लाभार्थियों के अन्य वर्गों के लिए, जिनका उल्लेख ऊपर विशेष रूप से नहीं किया गया है, **200** लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन **40%** तक की सहायता प्रदान की जाएगी।

[18] अधिकतम सीमा **200** लाख रुपये के अध्यधीन।

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	2. इंसुलेटेड, रीफर ट्रांसपोर्ट/मोबाइल प्री-कूलिंग इकाइयों की खरीद	2.1 पशुधन वाहकों के लिए विशेष वाहन सहित इंसुलेटेड, रीफर ट्रांसपोर्ट/मोबाइल प्री-कूलिंग इकाइयों की खरीद (संख्या में)[19]	10[20]		1.3 एपीडा बास्केट में प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का हिस्सा (प्रतिशत में)।	32
	3. खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की खरीद से कमियों को दूर किया जा सकेगा।	3.1 खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आवश्यकताओं के लिए मूल्यवर्धित उत्पादों की उत्पादकता/दक्षता या गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक कमियों को दूर करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की खरीद।.[21]	20[22]			

[19] *पूर्वोत्तर राज्यों, लद्दाख, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर के निर्यातकों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पीएसीएस), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिला लाभार्थियों और स्टार्टअप्स को 200 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 75% तक की सहायता प्रदान की जाएगी। अन्य राज्यों में स्थित परियोजनाओं या लाभार्थियों के अन्य वर्गों के लिए, जिनका उल्लेख ऊपर विशेष रूप से नहीं किया गया है, 200 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 40% तक की सहायता प्रदान की जाएगी।*

[20] *अधिकतम **200** लाख रुपये की सीमा के अध्यधीन।*

[21] *पूर्वोत्तर राज्यों, लद्दाख, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर के निर्यातकों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पीएसीएस), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिला लाभार्थियों और स्टार्टअप्स को 200 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 75% तक की सहायता प्रदान की जाएगी। अन्य राज्यों में स्थित परियोजनाओं या लाभार्थियों के अन्य वर्गों के लिए, जिनका उल्लेख ऊपर विशेष रूप से नहीं किया गया है, 200 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 40% तक की सहायता प्रदान की जाएगी।*

[22] *अधिकतम सीमा 200 लाख रुपये के अध्यधीन।*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	4. सामान्य अवसंरचना सुविधाएं	4.1 केंद्र और राज्य सरकार के संस्थानों द्वारा एकीकृत पैकेजिंग हाउस, प्रसंस्करण इकाइयां, प्रयोगशालाएं आदि जैसी सामान्य अवसंरचना सुविधाएं स्थापित की जाएंगी।[23]	2[24]			
		4.2 (1.5) में उल्लिखित सुविधाओं का उन्नयन[25]	2[26]			
	II. गुणवत्ता विकास [27]					
	5. गुणवत्ता, स्थिरता और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों का कार्यान्वयन और प्रमाणन,	5.1सभी एपीडा अनुसूचित और जैविक उत्पादों के लिए गुणवत्ता, स्थिरता और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों का कार्यान्वयन और प्रमाणन।[28].	40[29]	लागू नहीं है		

[23]यह सहायता स्वीकृत लागत के 90% तक होगी, जिसकी अधिकतम सीमा 600 लाख रुपये के अध्यधीन होगी, यह सहायता पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर), लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप तक ही सीमित रहेगी।

[24] अधिकतम सीमा 600 लाख रुपये के अध्यधीन।

[25] यह सहायता स्वीकृत लागत के 90% तक होगी, जिसकी अधिकतम सीमा 200 लाख रुपये के अध्यधीन होगी, यह सहायता पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर), लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप तक ही सीमित रहेगी।

[26] अधिकतम सीमा 200 लाख रुपये के अध्यधीन।

[27] गुणवत्ता, स्थिरता और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों का कार्यान्वयन और प्रमाणीकरण, मानकीकरण, वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सामंजस्य, पैकेजिंग लाइन की स्थापना जो उत्पाद की गुणवत्ता/शेल्फ लाइफ में सुधार करेगी।। सभी एपीडा अनुसूचित उत्पादों के लिए गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन और प्रमाणीकरण के लिए वित्तीय सहायता।

[28] यह सहायता कुल लागत के 50% तक होगी, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति प्रमाणन 5 लाख रुपये के अध्यधीन होगी। यह सहायता प्रमाणनों के नवीनीकरण पर भी लागू होगी।

[29] अधिकतम 5 लाख रुपये की सीमा के अध्यधीन ।

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	मानकीकरण, वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सामंजस्य , पैकेजिंग लाइन की स्थापना जो उत्पाद की गुणवत्ता/शेल्फ जीवन में सुधार करेगी।	5.2 अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ मानकीकरण, सामंजस्य, जिसमें फ्रूट फ्लाई और/या अंतर्राष्ट्रीय बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार किसी अन्य मामले पर नियंत्रण जैसे विशेष मामले शामिल हैं।[30].	10			
		5.3 उत्पाद की गुणवत्ता/शेल्फ लाइफ में सुधार के लिए स्थापित किया गया [31]	50[32]			
	6. तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल को मजबूत करना।	6.1 भारत और विदेश में प्रशिक्षण और अध्ययन दौरों की संख्या।[33]	5			
		6.2 एपीडा द्वारा आयोजित/ प्रायोजित/ सहायता प्राप्त	100			

[30] यह घटक एपीडा द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

[31] इसमें नियंत्रित वातावरण पैकेजिंग (सीएपी), संशोधित वातावरण पैकेजिंग (एमएपी), सक्रिय पैकेजिंग (ऑक्सीजन स्कैवेंजर, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषक और उत्सर्जक, एथिलीन अवशोषक, आर्द्रता अवशोषक, रोगाणुरोधी परिरक्षक रिलीजर आदि), रोगाणुरोधी एजेंट और पैकेजिंग सिस्टम आदि शामिल हैं। सहायता उपकरण की लागत के 40% तक होगी, जो प्रति लाभार्थी 10 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगी।

[32] अधिकतम 10 लाख रुपये की सीमा के अध्यधीन

[33] यात्रा खर्च और प्रशिक्षण शुल्क के 50% तक की सहायता प्रदान की जाएगी, जो प्रति प्रतिभागी प्रति वर्ष अधिकतम 3 लाख रुपये तक सीमित होगी। यह सहायता प्रति संगठन केवल एक प्रतिभागी तक सीमित रहेगी (एपीडा के मामले में 100%)।

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		सेमिनार/ कार्यशालाओं/ आउटरीच कार्यक्रमों आदि की संख्या, जिसमें आवश्यकतानुसार नियमावली, ब्रोशर, दिशानिर्देश आदि की तैयारी शामिल है।.[34]				
		6.3 एपीडा द्वारा आयोजित प्रतिनिधिमंडल दौरों, बैठकों, रोड शो आदि की संख्या[35].	20			
	7. कृषि रसायनों कीटनाशक, एफ्लाटॉक्सिन आदि के अवशेषों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला (एनआरएल) और अन्य सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/संस्थानों	7.1 राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला (एनआरएल) और अन्य सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र/ संस्थानों की संख्या जिन्हें सहायता प्रदान की गई है।	1			

34 यह सहायता 5 लाख रुपये तक होगी। एपीडा के मामले में यह 100% होगी

35 एपीडा के लिए 100%

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	को सहायता[36].					
	8. एपीडा द्वारा निगरानी किए जाने वाले सभी अनुसूचित और जैविक उत्पादों के लिए पानी, मिट्टी, कीटनाशकों के अवशेष, पशु चिकित्सा दवाओं, हार्मोन, विषाक्त पदार्थों, भारी धातुओं के संदूषकों, सूक्ष्मजीवों की संख्या आदि का परीक्षण।	8.1 एपीडा द्वारा निगरानी किए जाने वाले सभी अनुसूचित उत्पादों और जैविक उत्पादों के लिए किए गए परीक्षणों की संख्या[37].	100			

[36] *इसमें राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशालाओं/ सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र/ संस्थानों को संबंधित उत्पादों के लिए वैश्विक मानकों के अनुसार एमआरएल(अधिकतम अवशेष सीमा) आदि का अनुपालन सुनिश्चित करना शामिल है।*

[37] *यह सहायता कुल लागत की 50% तक होगी, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति नमूना 5000/- रुपये होगी। वर्तमान योजना अवधि के दौरान प्रति लाभार्थी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये है।*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	9. निर्यात उन्मुख के लिए उपयुक्त नई पौध/बीज/जर्मप्लाज्म किस्मों का परिचय, साथ ही एपीडा द्वारा निर्धारित उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त किस्में[38]	9.1 निर्यात उन्मुख/ एपीडा द्वारा अनुसूचित उत्पादों के संस्करण के लिए उपयुक्त किस्मों हेतु नई पौध/ बीज/ जर्मप्लाज्म किस्मों की संख्या ।	5[39]			
	10. निर्यात परीक्षण के लिए प्रयोगशाला और आंतरिक प्रयोगशाला उपकरण।	10.1 उन्नयन के लिए एपीडा में सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं की संख्या [40]	5			
		10.2 आंतरिक प्रयोगशाला उपकरणों के लिए एपीडा में पंजीकृत निर्यातकों की संख्या[41]	10[42]			

[38] संबंधित अनुसंधान संस्थानों को आयातित पौध सामग्री की लागत का 90% तक सहायता प्रदान की जाएगी और निर्यातकों को 60% तक अधिकतम 50 लाख रूपये की सीमा के अधीन सहायता प्रदान की जाएगी। हालांकि, पौधों के चयन से संबंधित पहलू, आयात की शर्तें और नियम, जिनमें यदि कोई मंजूरी आवश्यक हो, तो रॉयल्टी आदि की शर्तें और नियमों का पालन लाभार्थी द्वारा किया जाएगा।

[39] अधिकतम 50 लाख रुपये की सीमा के अधीन।

[40] लागत का 50% तक , अधिकतम 200 लाख रुपये की सीमा के अधीन सहायता प्रदान की जाएगी । एपीडा के मामले में यह 100% होगी।

[41] लागत का 50% तक, अधिकतम 100 लाख रुपये की सीमा के अधीन सहायता प्रदान की जाएगी।

[42] अधिकतम 100 लाख रुपये की सीमा के अधीन

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	11 उत्पाद एवं प्रौद्योगिकी विकास।	11.1 उत्पाद और संचालित प्रौद्योगिकी विकास गतिविधियों की संख्या[43]	5			
	12. आत्मनिर्भर भारत	12.1 कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र[44] में अवसंरचना और गुणवत्ता सुधार के लिए समर्थित नवोन्मेषी विचारों की संख्या।	5			
		12.2 उपज की गुणवत्ता बढ़ाने और आयातक देशों की एसपीएस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यान्वित विशेष गतिविधियों की संख्या [45]	10[46]			
	13 कृषि और खाद्य क्षेत्र के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना।	13.1 कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में अवसंरचना और गुणवत्ता सुधार में समर्थित स्टार्टअप्स की संख्या[47]	5[48]			

[43] प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से मूल्यवर्धन को सुदृढ़ करने, निर्यात गुणवत्ता में सुधार करने, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने आदि के लिए गतिविधियाँ। 100% सहायता एपीडा को दी जाएगी।
[44] चयनित संस्था को 100 लाख रूपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
[45] सहायता कुल लागत की 50% तक होगी जो कि प्रति लाभार्थी 25 लाख रुपये की सीमा के अधीन है।
[46] अधिकतम 25 लाख रुपये की सीमा के अधीन
[47] सहायता राशि कुल लागत की 50% तक होगी, प्रति लाभार्थी 100 लाख रुपये की सीमा के अधीन है
[48]. अधिकतम 100 लाख रुपये की सीमा के अधीन

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		13.2 ट्रेसिअबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन प्रणाली, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), या गुणवत्ता प्रसंस्करण के लिए किसी अन्य उच्च परिशुद्धता प्रौद्योगिकी को लागू करने हेतु किसी भी हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर समाधान की खरीद (संख्या में)।[49].	10[50]			
	14 क्षमता निर्माण के लिए सहायता[51]	14.1 आयोजित प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रमों की संख्या।[52]	50			

[49] सहायता राशि उपकरण की लागत के 50% तक होगी, प्रति लाभार्थी 20 लाख रूपये की सीमा के अधीन

[50] *अधिकतम 20 लाख रूपये की सीमा के अधीन*

[51] *कार्यशालाओं, प्रदर्शन आधारित शिक्षण, प्रशिक्षण सामग्री और डीजीटल शिक्षण संस्थानों के विकास, फसल कटाई के बाद प्रबंधन, निर्यात बाजारों के लिए ट्रेसबिलिटी और पैकेजिंग सहित प्रशिक्षण केन्द्र और राज्य सरकारों के संस्थानों द्वारा सुगम बनाए जाऐंगे।*

[52] *प्रशिक्षण की कुल लागत का 50 % तक सहायता प्रदान की जाएेगी जिसकी अधिकतम सीमा पांच लाख रूपया प्रति लाभार्थी प्रति वर्ष होगी/एपीडा के मामले में यह सहायता 100 % होगी।*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		14.2 निर्यात स्टार्टअप के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए संरचित कार्यक्रम की संख्या।	10			
		14.3 अनुदान प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत सहायता प्राप्त/प्रदान किए गए निर्यातकों की संख्या।	5			
		14.4 अनुदानों के आवेदन, समीक्षा और मूल्यांकन से संबंधित समर्पित सहायता के लिए तकनीकी सहायता भागीदार का प्रावधान, तथा योजना के सुचारू संचालन के लिए एपीईडीए द्वारा आवश्यक अन्य सभी तकनीकी सहायता (संख्या में)।	5			
	III. बाज़ार विकास					
	15. डेटाबेस और बाजार संबंधी जानकारियों का विकास एवं प्रसार।	15.1 डेटाबेस, मार्केट इंटेलिजेंस और आईटी से संबंधित गतिविधियों जैसे कि एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क, सुरक्षा प्रणाली, ऑडिट आदि के प्रसार की संख्या विकसित	20	लागू नहीं है		

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		की गई।				
	16. मेलों/ आयोजनों/ क्रेता-विक्रेता बैठकों/ रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठकों, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों, जीआई उत्पादों के संवर्धन आदि में भागीदारी।	16.1 एपीईडीए द्वारा भाग लिए गए मेलों/आयोजनों/ क्रेता-विक्रेता बैठकों/रिवर्स क्रेता विक्रेता बैठकों, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के संवर्धन और जीआई उत्पादों की प्रदर्शन गैलरी के आयोजन आदि की संख्या[53]।	30			
	17. पैकेजिंग विकास, प्रोटोकॉल और ट्रेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए सहायता	17.1 पैकेजिंग, परिवहन प्रोटोकॉल (सड़क, रेल, हवाई, जलमार्ग और समुद्री परिवहन), भौगोलिक संकेत, अनुसंधान एवं विकास आदि के मानकों की संख्या विकसित की गई।	10			

[53] इसका उद्देश्य वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) और जैविक संवर्धन के अंतर्गत आने वाले उत्पादों को भी शामिल करना है। व्यापार मेलों और बीएसएम में भागीदारी के संबंध में, नए प्रतिभागियों को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि, मौजूदा निर्यातकों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इस घटक का कार्यान्वयन एपीडा द्वारा किया जाएगा।

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	18. व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित करके नए बाजार/ उत्पाद विकास में सहायता प्रदान करना/परीक्षण शिपमेंट में सहायता प्रदान करना/और भारत के बाहर ब्रांड/बौद्धिक संपदा अधिकारों का पंजीकरण कराना[54]।	18.1 व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित करके नए बाजार/उत्पाद विकास की संख्या।	10			
		18.2 बहुविध परिवहन सहित परीक्षण शिपमेंट के लिए प्रदान की गई सहायता।[55]	10			
		18.3 भारत के बाहर ब्रांड/बौद्धिक संपदा अधिकारों का पंजीकरण[56]	5			
		18.4 महिला एवं महिला नेतृत्व वाले संगठनों, महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निर्यातकों और स्टार्टअप्स को अंतर्राष्ट्रीय खुदरा श्रृंखलाओं में सूचीबद्ध करने/शेल्फ	60[58]			

[54] क) प्रति लाभार्थी प्रति अध्ययन 10 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन कुल लागत का 50% तक सहायता प्रदान की जाएगी। ख) यदि अध्ययन व्यापार संघों/विदेशों में भारतीय मिशनों/केंद्रीय/राज्य सरकारी एजेंसियों/गैर-तटीय राज्यों से संबंधित निर्यातकों द्वारा किया जाता है, जिसमें नीति आयोग निर्यात तैयारी सूचकांक (2022)11 के अनुसार भूमि से घिरे, हिमालयी, केंद्र शासित प्रदेश/छोटे राज्य, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियां (पीएसीएस), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थी, स्टार्टअप और एनपीओपी प्रमाणित जैविक निर्यातक शामिल हैं तो कुल लागत के 75% की सहायता दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा प्रति अध्ययन प्रति अध्ययन प्रति लाभार्थी 10 लाख रुपये होगी। एपीईडीए के मामले में 100%

[55] क) सहायता कुल लागत के 50% तक होगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रूपये होगी । (ख) एपीडा के मामले में 100%

[56] क) सहायता कुल लागत के 50% तक होगी, प्रति लाभार्थी/प्रति योजना अवधि अधिकतम 50 लाख रूपये तक सीमित रहेगी। 42 (ख) एपीडा के मामले में 100%।

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		स्पेस/स्लॉटिंग शुल्क के लिए सहायता (संख्या में)।[57]				
		18.5 जीआई उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड प्रचार हेतु सहायता (संख्या में)[59]	20			

[57] *अधिकतम सीमा 8 लाख रुपये के अधीन।*
[58] विदेशों में प्रमुख खुदरा श्रृंखलाओं में भारतीय उत्पादों की दृश्यता बढ़ाने के लिए। सहायता प्रति लाभार्थी प्रति वर्ष 8 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन 50% तक होगी।
[59] *क) सहायता कुल लागत के 50% तक होगी प्रति लाभार्थी अधिकतम 100 लाख रुपये की सीमा के अधीन । ख) एपीडा के मामले में 100%।*

10. भारतीय राष्ट्रीय केंद्र (इन-सेंट) एलजीडी (प्रयोगशाला में विकसित हीरा)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
242.96	1. आईआईटी मद्रास, चेन्नई में भारतीय प्रयोगशाला विकसित हीरा अनुसंधान केंद्र (इनसेंट-एलजीडी) की स्थापना।	1.1 दाखिल किए गए पेटेंटों की संख्या	02	1. भारत को प्रयोगशाला में विकसित हीरे के उत्पादन में नंबर 1 बनाने के लिए स्वदेशी प्रयोगशाला में विकसित हीरे से संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास और कार्य-निष्पादन मूल्यांकन की संख्या।	1.1 भारतीय प्रयोगशाला हीरा उद्योग के लाभ के लिए विकसित स्वदेशी प्रौद्योगिकियों की संख्या	02
		1.2 प्रयोगशाला में विकसित हीरे पर शोध प्रकाशनों की संख्या	05		1.2 प्रयोगशाला में विकसित हीरे से संबंधित उद्योगों में काम करने के लिए उपयुक्त कौशल विकसित करने वाले लोगों की संख्या	150
		1.3 भाग लिए गए या आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की संख्या	03		1.3 प्रयोगशाला में विकसित हीरे से संबंधित कार्यों के लिए सक्षम अनुसंधान प्रयोगशालाओं और कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की उपलब्धता	01
		1.4 पंजीकृत स्टार्टअपों की संख्या	02			

11. राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) ट्रस्ट (सीएस)

वित्तीय परिव्यय[60] (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	1. परियोजनाओं और अन्य उच्च मूल्य के निर्यातों के लिए ऋण जोखिम कवर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एनईआईए के कोष में वृद्धि करना।	1.1 एनईआईए द्वारा समर्थित निर्यातकों की संख्या	8	1. उन परियोजना क्षेत्र के निर्यातों को ऋण बीमा सहायता प्रदान करना जो ईसीजीसी की बीमा क्षमता से परे हैं।	1.1 जारी किए गए कवरों की अधिकतम देयता के संदर्भ में क्षमता वृद्धि (करोड़ रुपये में)	10,000
		1.2 एनईआईए द्वारा समर्थित परियोजनाओं की संख्या	8			
		1.3 एनईआईए के अंतर्गत आने वाले देशों की संख्या	8			

[60] सीसीईए ने एनईआईए ट्रस्ट में 2,687.30 करोड़ रुपये के कोष निवेश को मंजूरी दी, जिसमें से 500 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा जून 2025 में जारी किए गए थे। 1,300 करोड़ रुपये की एक और किश्त जारी होने की उम्मीद है।